न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 20/2016
दायर दिनांकः 22.07.2016
निर्णय दिनांक 21.10.2024

—: अनवान :—

श्री भंवरलाल पिता श्री छगनलाल जी, जाति जोशी, उम्र 87 वर्ष, निवासी जोशीयो की मादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज)

— प्रार्थी/निगराकार

बनाम

1. श्री अशुमाली जोशी पिता श्री गोवर्धनलाल जी, जाति जोशी, उम्र 65 वर्ष, निवासी बाबा आर्ट गैलेरी, पंचवटी, उदयुपर (राज.)
2. ग्राम पंचायत बागोल, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बागोल, जरिये सरपंच, पंचायत समिति खमनोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वास्ते ग्राम पंचायत बागोल द्वारा दिनांक 15.06.2007 को जारी पट्टा संख्या 8 के विरुद्ध

उपस्थितः—

1— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जोशीयों की मादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में श्री गोवर्धनलाल पिता श्री भगवान जी जोशी के निवास का दो मंजिला मकान स्थित रहा, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर एक कमरा एक तिबारी एवं नाल स्थित हैं तथा प्रथम मंजिल पर एक कमरा (मेड़ी) स्थित हैं। उक्त मकान के नाप व पड़ौस निम्न अनुसार हैं :— पूर्व : भंवरलाल जी जोशी का भूखण्ड नाप 18 फीट, पश्चिम : आम रास्ता नाप 18 फीट, उत्तर : भोलेनाथ जी के मन्दिर का चौक नाप 22 फीट, दक्षिण : भंवरलाल जी जोशी का भूखण्ड नाप 22 फीट, उक्त वर्णित के पूर्व एवं दक्षिण में प्रार्थी/निगराकार के आधिपत्य व उपयोग—उपभोग का भूखण्ड स्थित हैं। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी/निगराकार का गोबर गैस प्लाण्ट स्थापित किया हुआ हैं तथा इस भूखण्ड में प्रार्थी/निगराकार के मवेशी बंधते हैं तथा घास लकड़िया एवं गोबर की रोड़ी डाल रखी हैं तथा प्रार्थी के 10 ट्रीप पत्थर के पड़े हुए हैं। उक्त वर्णित मकान के उत्तर में श्री

भोलेनाथ मन्दिर का चौक एवं इस चौक के पूर्व में भगवान भोलेनाथ का मन्दिर बना हुआ हैं। जहां ग्राम जोशीयों की मादड़ी के समस्त ग्रामवासी दर्शन करते हैं तथा भोलेनाथ मन्दिर के चौक में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करते हैं। भोलेनाथ के मन्दिर में इसी चौक से ही आवागमन किया जा सकता हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हैं। दिनांक 26.05.2016 को विपक्षी संख्या 1 का साला शरद बागोरा, निवासी नाथद्वारा व उसके साथ 2–3 व्यक्ति ग्राम जोशीयों की मादड़ी आये और प्रार्थी के भूखण्ड एवं भोलेनाथ जी के मन्दिर के चौक की भूमि का नाप–चौक करने लगे, तो प्रार्थी/निगराकार एवं प्रार्थी का पुत्र सत्यनारायण को इसकी जानकारी हुई, तो आकर पूछने लगे तो, शरद बागोरा कहने लगा कि यहां हमने विपक्षी संख्या 1 के नाम से ग्राम पंचायत से पट्टा कराया हैं और पट्टे की फोटोकॉपी बताई, तो प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से एवं सब–रजिस्ट्रार से सम्बन्धित की नकले निकलवाई, तो विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर गलत पट्टा बनाने की जानकारी हुई। विपक्षी संख्या 1 के पिता स्व. गोवर्धन जी पिता भगवान जी जोशी का जो मकान ग्राम जोशीयों की मादड़ी में स्थित रहा वह उत्तर से दक्षिण 18 फीट चौड़ा एवं पूर्व से पश्चिम 22 फीट लम्बा बना हुआ है, जो वर्तमान में भी खण्डहरनुमा अवस्थित हैं, जिसके संबन्ध में विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर वास्तविक नाप से अधिक 70 X 70 वर्गफीट नाप का मकान प्रार्थी के भूखण्ड एवं भोलेनाथ के मन्दिर क चौक की भूमि को अपनी बता गलत ही पट्टा प्राप्त कर लिया, जो गलत हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक ही के पट्टे जारी करने का अधिकार हैं, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण ने मिलीभगत कर अपने अधिकारों से परे जाकर प्रार्थी एवं श्री भोलेनाथ जी मन्दिर के चौक की भूमि को शामिल करते हुए 4900 वर्गफीट यानि 544 वर्गगज का पट्टा जारी करवा दिया, जो कि स्पष्ट रूप से नियमों के विरूद्ध होकर काबिल खारिज के हैं। विपक्षी संख्या 1 कि वास्तविक पुश्तैनी मकान जो निर्मित हैं, वह 18 X 22 वर्गफीट यानि 396 वर्गफीट का हैं, विपक्षी उक्त मकान में क्षेत्रफल तक ही पट्टा प्राप्त कर सकता हैं, इससे अधिक नहीं। विपक्षी संख्या 1 राजकीय सेवा में कार्यरत रहा तथा राजसमन्द में उप–निदेशक के पद पर तत्कालीन समय पर कार्यरत रहा। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से पट्टा प्राप्त किया हैं। विपक्षीगण ने आक्षेपित पट्टा जारी किया व पड़ौस दर्शित वह गलत दर्शित किये हैं। विपक्षी संख्या 1 के मकान के उत्तर में सतीमाता मन्दिर नहीं होकर भोलेनाथ जी मन्दिर का चौक हैं तथा उसके पश्चात् सतीमाता का मन्दिर हैं। विपक्षी ने उत्तर के भोलेनाथ के मन्दिर की भूमि को भी शामिल करते हुए पट्टा जारी करने में भूल की हैं। आक्षेपित पट्टे मे दक्षिण का पड़ौस जमना प्रसाद जी का बाड़ा अंकित किया वह गलत हैं। विपक्षी संख्या 1 के मकान के दक्षिण में प्रार्थी का भूखण्ड हैं। जहां प्रार्थी की लोहे की फाटक लगी हुई होकर प्रार्थी के भूखण्ड में प्रार्थी के मवेशी बन्धते है तथा गोबर गैस प्लाण्ट स्थित हैं। प्रार्थी के भूखण्ड की भूमि को भी शामिल करते हुए ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पूर्व का पड़ौस में भोलेनाथ का मन्दिर किया वहां गलत किया हैं। प्रार्थी के निर्मित मकान 18 X 22 के पूर्व में प्रार्थी का भूखण्ड हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं हैं। पटवारी रिपोर्ट अंकित की गयी वह भी वास्तविक स्थिति की अंकित नहीं हैं। पटवारी रिपोर्ट देखने से ही स्पष्ट हैं कि पटवारी ने बिना वास्तविक स्थिति देखे ही मनमकसूद तरीके से रिपोर्ट बना प्रस्तुत कर दी। अनापत्ति पत्र भी विपक्षी संख्या 1 ने मिलीभगत से वार्ड एवं मोहल्ले के बाहर के व्यक्तियों से कराकर आक्षेपित पट्टा प्राप्त किया हैं, जो गलत हैं। अनापत्ति देने वालों में मुकेश जोशी वादग्रस्त स्थल से एक मिलोमीटर दूर रहता हैं तथा भूरालाल अन्य गांव का निवासी हैं। इस तरह विपक्षीगण ने पोशिदा रख अवैध कार्यवाही करवा आक्षेपित पट्टा जारी कराया हैं। इस अनापत्ति–पत्र पर भी कोई दिनांक भी अंकित नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 ने शपथ–पत्र प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर

किया, उसमें कोई दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं हैं। साथ ही विपक्षी ने अपने निर्मित मकान का पट्टा चाहा हैं, जो निर्मित मकान हैं वह 18 X 22 वर्गफीट का ही हैं, परन्तु विपक्षीगण ने आपस में मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 के उपनिदेशक होने का एवं प्रभावशाली होने से प्रार्थी एवं भोलेनाथ जी मन्दिर के चौक की भूमि को भी शामिल करते हुए गलत पट्टा जारी कराया है। विपक्षीगण ने उक्त पट्टा का जो पंजीयन कराया उसके भी गवाह विपक्षी संख्या 1 के साले शरद बागोरा एवं अन्य गांवगुड़ा गॉव के व्यक्ति से कराया और पंजीयन कराया है। विपक्षीगण ने उक्त सारी कार्यवाही प्रार्थी से पोशिदा रख बालाबाला मिलीभगत कर कराई हैं और अब अवैध पट्टे को आधार बना प्रार्थी के भूखण्ड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहता हैं। इस अवैध पट्टे के अस्तित्व में रहने से प्रार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में विपक्षी संख्या दो द्वारा दिनांक 15.06.2007 को जारी पट्टा संख्या 08 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधिवक्ता निगराकार द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि ग्राम जोशीयों की मादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में विपक्षी संख्या 01 के पिता श्री गोवर्धनलाल पिता श्री भगवान जी जोशी के निवास का दो मंजिला मकान स्थित रहा, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर एक कमरा एक तिबारी एवं नाल स्थित हैं तथा प्रथम मंजिल पर एक कमरा (मेड़ी) स्थित हैं। उक्त मकान के नाप व पड़ौस निम्न अनुसार हैं :– पूर्व : भंवरलाल जी जोशी का भूखण्ड नाप 18 फीट, पश्चिम : आम रास्ता नाप 18 फीट, उत्तर : भोलेनाथ जी के मन्दिर का चौक नाप 22 फीट, दक्षिण : भंवरलाल जी जोशी का भूखण्ड नाप 22 फीट, उक्त वर्णित के पूर्व एवं दक्षिण में प्रार्थी/निगराकार के आधिपत्य व उपयोग–उपभोग का भूखण्ड स्थित हैं। मकान के पूर्व एवं दक्षिण में प्रार्थी/निगराकार के आधिपत्य व उपयोग–उपभोग का भूखण्ड स्थित हैं। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी/निगराकार का गोबर गैस प्लाण्ट स्थापित किया हुआ है तथा इस भूखण्ड में प्रार्थी/निगराकार के मवेशी बंधते हैं तथा घास लकड़िया एवं गोबर की रोड़ी डाल रखी है तथा प्रार्थी के 10 ट्रीप पत्थर के पड़े हुए हैं। मकान के उत्तर में श्री भोलेनाथ मन्दिर का चौक एवं इस चौक के पूर्व में भगवान भोलेनाथ का मन्दिर बना हुआ है। जहां ग्राम जोशीयों की मादड़ी के समस्त ग्रामवासी दर्शन करते है तथा भोलेनाथ मन्दिर के चौक में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करते हैं। भोलेनाथ के मन्दिर में इसी चौक से ही आवागमन किया जा सकता हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 का साला शरद बागोरा, निवासी नाथद्वारा व उसके साथ 2–3 व्यक्ति ग्राम जोशीयों की मादड़ी आये और प्रार्थी के भूखण्ड एवं भोलेनाथ जी के मन्दिर के चौक की भूमि का नाप–चौक करने लगे, तो प्रार्थी/निगराकार एवं प्रार्थी का पुत्र सत्यनारायण को इसकी जानकारी हुई, तो आकर पूछने लगे तो, शरद बागोरा कहने लगा कि यहां हमने विपक्षी संख्या 1 के नाम से ग्राम पंचायत से पट्टा कराया हैं और पट्टे की फोटोकॉपी बताई, तो प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से एवं सब–रजिस्ट्रार से सम्बन्धित की नकले निकलवाई, तो विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर गलत पट्टा बनाने की जानकारी हुई तो, प्रार्थी उक्त पट्टे को निरस्त कराने के संबन्ध में यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की हैं। विपक्षी संख्या 1 के पिता स्व. गोवर्धन जी पिता भगवान जी जोशी का जो मकान ग्राम जोशीयों की मादड़ी में स्थित रहा वह उत्तर से दक्षिण 18 फीट चौड़ा एवं पूर्व से पश्चिम 22 फीट लम्बा बना हुआ है, जो वर्तमान में भी खण्डरनुमा अवस्थित हैं, जिसके

संबन्ध में विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर वास्तविक नाप से अधिक 70 X 70 वर्गफीट नाप का मकान प्रार्थी के भूखण्ड एवं भोलेनाथ के मन्दिर के चौक की भूमि को अपनी बता गलत ही पट्टा प्राप्त कर लिया, जो गलत हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (क) के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक ही के पट्टे जारी करने का अधिकार हैं, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण ने मिलीभगत कर अपने अधिकारों से परे जाकर प्रार्थी एवं श्री भोलेनाथ जी मन्दिर के चौक की भूमि को शामिल करते हुए 4900 वर्गफीट यानि 544 वर्गगज का पट्टा जारी करवा दिया, जो कि स्पष्ट रूप से नियमों के विरूद्ध होकर काबिल खारिज के हैं।

Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996, 157. Regularisation of old houses. –

[1] Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII - A after depositing the charges as under -

(i) For area upto 300 sq. yards or constructed area including 25 percent of a constructed area subject to a maximum area of 300 sq. yards:

(a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules Rs. 100/-

(b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December 2016]. Rs. 200/-

(ii) For area, exceeding the area specified in clause (i) above, on such excess area 25 percent of the market rates recommended by the District Level Committee constituted under Clause (b) of Rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004:

Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) and only 10 percent fees shall be charged under sub-clause

(b) of clause (i) above from the families included in the list below the poverty line.

विपक्षी सं. 01 ने मिलीभगत से वार्ड एवं मोहल्ले के बाहर के व्यक्तियों से कराकर आक्षेपित पट्टा प्राप्त किया हैं, जो गलत हैं। अनापत्ति देने वालों में मुकेश जोशी वादग्रस्त स्थल से एक किलोमीटर दूर रहता हैं तथा भूरालाल अन्य गांव का निवासी हैं। इस तरह विपक्षीगण ने पोशिदा रख अवैध कार्यवाही करवा आक्षेपित पट्टा जारी कराया हैं। इस अनापत्ति–पत्र पर भी कोई दिनांक भी अंकित नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, उसमें कोई दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं हैं। साथ ही विपक्षी ने अपने निर्मित मकान का पट्टा चाहा हैं, जो निर्मित मकान हैं वह 18 X 22 वर्गफीट का ही हैं, परन्तु विपक्षीगण ने आपस में मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 के उपनिदेशक होने का एवं प्रभावशाली होने से प्रार्थी एवं भोलेनाथ जी मन्दिर के चौक की भूमि को भी शामिल करते हुए गलत पट्टा जारी कराया हैं। विपक्षीगण ने उक्त पट्टा का जो पंजीयन कराया उसके भी गवाह विपक्षी संख्या 1 के साले शरद बागोरा एवं अन्य गांवगुड़ा गावं के व्यक्ति से कराया और पंजीयन कराया हैं। विपक्षीगण ने उक्त सारी कार्यवाही प्रार्थी से पोशिदा रख बालाबाला मिलीभगत कर कराई हैं और अब अवैध पट्टे को आधार बना प्रार्थी के भूखण्ड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहता हैं। इस अवैध पट्टे के अस्तित्व में रहने से प्रार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा हैं। उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार साहब द्वारा कमीश्नर पर्चा मौका देखा गया उसमें भी प्रार्थी का मकान 18 X 22 यानि 396 वर्गफिट का बना हुआ रिपोर्ट में आया तथा प्रार्थी के

न्यायालय जिला कलक्टर

मकान के अलावा शेष भूमि पर प्रार्थी ने बाउन्ड्रीवाल बना कर लोहे की फाटक लगा रखी हैं तथा गोबर गैस बना हुआ हैं एवं प्रार्थी का सामान ट्रेक्टर एवं कल्टी पडी हुई हैं व गाय भैंस बंधी हुई हैं एवं अन्य सामान पड़ा हुआ हैं, प्रार्थी ने भी निगरानी के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया इससे भी स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य उपयोग उपभोग हैं। उसके बावजुद भी विपक्षीगण ने मिलीभगत कर कपट पूर्वक पट्टा जारी किया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

अधिवक्ता गैर निगराकार द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी निगराकार को उपरोक्त अनवान की निगरानी याचिका कानूनन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं, प्रार्थी निगराकार को उक्त निगरानी याचिका पेश करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं हैं। पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 157 'क' 'ख' के अन्तर्गत 50 वर्षों से अधिक समय से बने हुए मकान का विपक्षी संख्या एक को उक्त मकान का स्वामी मानते हुए पंचायत के द्वारा मनोनित सदस्यो के द्वारा मौके का निरीक्षण कर विपक्षी के स्वत्व अधिकार तथा कब्जा पाये जाने से पंचायत के द्वारा संकल्प संख्या पंचायत कोरम दिनांक 15.06.2007 के द्वारा पुष्टि कर दी गई है जिस कारण मनोनित सदस्यों के द्वारा लाल स्याही से वर्णित भूमि के नियनियतिकरण की राशि 211/– रूपये विपक्षी के द्वारा दिनांक 15–06–2007 को पंचायत कोष में जमा करा कर विपक्षी संख्या दो ने विधिवत रूप से मुझ विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। तथा उक्त पट्टा जारी करने के पश्चात दिनांक 13–08–2007 को ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में विधिवत आबादी भूमि का विनियमितिकरण विलेख/पट्टा सं 7–8 दिनांक 15.06.2007 का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय नाथद्वारा के यहां पर करवाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराने की अधिकारिता माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णयो में सिविल न्यायालय को ही प्रदान कर रखी है तथा विधि में सिविल न्यायालय को ही रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का प्रावधान उल्लेखित है। प्रार्थी/निगराकार के द्वारा पेश की गई उक्त निगरानी याचिका बेरून मयाद है, किसी भी आदेश की निगरानी याचिका पेश करने की मयाद 3 माह की है। लेकिन उक्त प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के 3 माह से भी कही अधिक समय यानि की 10 वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गई है, 10 वर्ष से अधिक देरी का कोई कारण प्रार्थी/निगराकार के द्वारा नहीं बताया गया है। जबकि प्रार्थी/निगराकार विपक्षी के गांव का निवासी होकर आपस में भाई बन्ध है और उसे उक्त पट्टे की जानकारी शुरू से ही रही हैं। जो केवल मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा कठोर रूख अपनाते हुए याचिका को भारी खर्चे पर खारिज किये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी/निगराकार केवल मात्र विपक्षी संख्या एक को परेशान करने की नियत से यह याचिका पेश की गई है। जो देरी के आधार पर ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/निगराकार विपक्षी से द्वेषता रखता है और येन केन प्रकारेण वह विपक्षी को परेशान करना चाहता है और मुकदमें की आड़ में मुझ विपक्षी की सम्पति कों हडपना चाहता है। इसी उद्देश्य से विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रार्थी/निगराकार स्वयं एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। जो लोगो की जमीन हडपना चाहता है और मुझ विपक्षी की जमीन को हडपने के लिये ही इसी प्रकार के हथकण्डे अपना रहा हैं। इस कारण प्रार्थी/निगराकार के विरूद्ध राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में विधिक प्रकरण विचाराधीन है। सदैव न्यायालय में लोगो के खिलाफ झूठे झूठे मुकदमें लगाता रहता है। विवादग्रस्त भूखण्ड मुझ विपक्षी के स्वामित्व

न्यायालय जिला कलक्टर

आधिपत्य का हैं जिसका ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा नियमानुसार मुझ विपक्षी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यवाही वैध एवं सही है ग्राम पंचायत में नियमानुसार सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए विपक्षी के हक में पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी की. उक्त जायदाद ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित है और ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि का पट्टा जारी करने का राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को मूल अधिकार प्राप्त है। विपक्षी की जायदाद के संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किये गये पट्टे में किसी प्रकार कोई त्रुटि एवं अवैधता नहीं की हैं विधिवत औपचारिकताएं पूरी कर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने के उपरान्त ग्राम पंचायत के द्वारा मुझ विपक्षी के पक्ष में नियमानुसार पट्टे का पंजीयन भी करवाया गया हैं किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। पंजीकृत दस्तावेज के संबध में ऐसा दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता हैं जिसके संबंध में कानून में यह उपधारणा है कि इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को है एवं निगराकार स्वयं इस पट्टे के बारे में प्रारम्भ से ही जानता है फिर भी जानबूझ कर इरादतन विपक्षी को परेशान करने के लिये यह निगरानी याचिका पेश की है। ग्राम पंचायत के द्वारा यदि विपक्षी संख्या एक को 300 वर्ग गज भूमि से अधिक भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया है तो उसके लिये राज्य सरकार के द्वारा विपक्षी संख्या दो ग्राम पंचायत बागोल को विधिवत रूप से शुल्क प्राप्त कर आगे कार्यवाही किये जाने के प्रावधान प्रदत कर रखे है। दिनांक 10.01.2013 को राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र जारी होने से पूर्व विपक्षी संख्या एक को पट्टावर्ष 2007 में प्रदान किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या एक को विधिवत तरीके से जारी किया गया पट्टा वैध है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिखित बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं 8 दिनांक 15.06.2007 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (क) के तहत जारी किया गया। उक्त पट्टे के बिन्दु संख्या 02 में भूमि को निलामी में प्रस्तावित होने के पश्चात 211/– रूपये की सर्वोच्च दर के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में निलामी संबंधि किसी भी प्रकिया के होने का कोई साक्ष्य नही है ग्राम पंचायत की पत्रावली में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 से संबंधित नियम 143 से 154 के तहत आपत्ति/आक्षेप आमंत्रित करने व्यापक प्रचार प्रसार संबंधित कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (क) के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक ही के पट्टे जारी करने का अधिकार हैं, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बागोल द्वारा 4900 वर्गफीट यानि 544 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया, जो कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर है।

प्रश्नगत निगरानी के निस्तारण बाबत न्यायालय द्वारा मौका स्थिति रिपोर्ट तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त की गई। तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा भी दिनांक 18.07.2018 में आराजी संख्या 159 पर अंशुमाली पिता गोर्धन लाल जोशी का 396 वर्गफिट पर मकान बना होकर कब्जा होने का अंकन किया है जबकि शेष पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा होना बताया है।

उक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्व होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 15.06.2007 जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में विहित प्रकिया

का पालन नहीं किया गया तथा क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर पट्टा विलेख जारी किया गया जो कि नियमानुसार नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य होकर ग्राम पंचायत बागोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टा खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बागोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 15.06.2007 को निरस्त किया जाता है।

21/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

21/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद